असाधारण
EXTRAORDINARY

Daman 4th July, 2017, 13 Ashadha, 1939 (Saka) सं. / No. : 25

सरकारी राजपत्र
OFFICIAL GAZETTE

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
Government of India

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
U.T. ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

U. T. Administration of Daman & Diu
OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, SECRETARIAT, MOTI DAMAN
DAMAN

81/DYCEO/2017
No. 1/13/VICE-PRESIDENT ELECTION OF INDIA/2017/81 Dated 04/07/2017

Notification No. 480/2017-BE and 480/2017(1) -BE dated 4th July, 2017 regarding the Vice-Presidential Election – 2017 - Programme Notifications for the Vice – President Election –2017 and Public Notice dated 4th July, 2017 issued by the Returning Officer for Vice-Presidential Election, 2017 are hereby published in the Official Gazette of this U.T. Administration of Daman & Diu for general information.

Sd/-
Dy. Chief Electoral Officer
Daman & Diu
Daman

※※※

EXTRAORDINARY No. : 25	
DATED : 4TH JULY, 2017.	

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated 4th July, 2017
Ashadha 13, 1939 (Saka)

NOTIFICATION

No.480/2017-BE- Whereas, the term of office of Mohd. Hamid Ansari, Vice-President of India, is upto 10th day of August, 2017, in terms of Article 67 of the Constitution; and

Whereas, an election is due to be held, in terms of clause (1) of Article 68 of the Constitution, to fill the vacancy to be caused by the expiration of the term of office of the incumbent Vice-President before the expiration of term of his office; and

Whereas, under sub-section (3) of section 4 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India is required to so appoint the dates for the election to fill the office of the Vice-President of India that the election will be completed at such time as will enable the Vice-President thereby elected to enter upon his office on the 11th day of August, 2017;

Now, therefore, the Election Commission of India hereby –

(A) **calls upon** the Electoral College, referred to in Article 66 of the Constitution, to elect a person to fill the above vacancy in the Office of Vice-President of India before the expiration of the term of the incumbent Vice-President, in accordance with the provisions of the Constitution, the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), and the Rules and Orders made thereunder; and

(B) in pursuance of sub-section (1) of Section 4 of the said Act, appoints -

a) the 18th July, 2017 (Tuesday), as the last date for making nominations;

b) the 19th July, 2017 (Wednesday), as the date for scrutiny of the nominations;

c) the 21st July, 2017 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures; and

d) the 5th August, 2017 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken.

By Order,

(R K SRIVASTAVA)
Sr. PRINCIPAL SECRETARY

EXTRAORDINARY No. : 25
DATED : 4TH JULY, 2017.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated 4th July, 2017
Ashadha 13, 1939 (Saka)

NOTIFICATION

No.480/2017 (1)-BE- In pursuance of rule 8 of the Presidential and Vice- Presidential Elections Rules,1974, the Election Commission hereby;

(a) fixes Room No. 62, First Floor, Parliament House, New Delhi as the place of polling for the Vice-President Election to be held in accordance with its Notification No.480/2017-BE dated the 4th July, 2017; and

(b) specifies the hours from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. both inclusive to be the hours during which the poll, if necessary, will be taken at the said place of polling.

By Order,

(R.K. SRIVASTAVA)
Sr. PRINCIPAL SECRETARY

EXTRAORDINARY No. : 25
DATED : 4TH JULY, 2017.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001.

तारीख: 4 जुलाई, 2017
आषाढ़ 13, 1939 (शक)

अधिसूचना

संख्या 480/2017–बी. ई.:– यत:, मो0 हामिद अंसारी, भारत के उपराष्ट्रपति की पदावधि, संविधान के अनुच्छेद 67 की शर्तों पर, 10 अगस्त, 2017 को समाप्त हो रही है; और

यत: पदधारित उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने तथा उनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व, इस प्रकार उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से, संविधान के अनुच्छेद 68 के खण्ड (1) की शर्तों पर निर्वाचन कराया जाना है; और

यत: राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन हेतु तारीख इस तरह प्रकार नियत की जानी अपेक्षित है कि निर्वाचन ऐसे समय तक पूर्ण हो जाए और निर्वाचित उपराष्ट्रपति अपना पद 11 अगस्त, 2017 को ग्रहण करने में समर्थ हो सकें;

अत: अब, भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा:–

अ) सविंधान के अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचक मंडल से यह अपेक्षा करता है कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) और तदधीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, वर्तमान उपराष्ट्रपति की अवधि खत्म होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें; और

आ) उक्त अधिनियम् की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में निम्नलिखित निर्धारित करता है:

(क) नाम निर्देशन की अन्तिम तारीख	: 18 जुलाई, 2017 (मंगलवार)
(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	: 19 जुलाई, 2017 (बुधवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	: 21 जुलाई, 2017 (शुक्रवार)
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान होगा	: 5 अगस्त, 2017 (शनिवार)

आदेश से,
(आर. के. श्रीवास्तव)
वरिष्ठ प्रधान सचिव

EXTRAORDINARY No. : 25
DATED : 4TH JULY, 2017.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001.

तारीख: 4 जुलाई, 2017
आषाढ़ 13, 1939 (शक)

अधिसूचना

संख्या 480/2017 (1)–बी. ई.:– राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा:

(क) अपनी दिनांक 4 जुलाई, 2017 की अधिसूचना सं0 480/2017–बी. ई. के अनुसार उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान कमरा सं0 62, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली नियत करता है; और

(ख) 10.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न दोनों को सम्मिलित करते हुए तक का समय ऐसे समय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त स्थान पर मतदान होगा।

आदेश से,

(आर. के. श्रीवास्तव)
वरिष्ठ प्रधान सचिव

EXTRAORDINARY No. : 25
DATED : 4TH JULY, 2017.

OFFICE OF THE RETURNING OFFICER FOR VICE-PRESIDENTIAL ELECTION, 2017

PUBLIC NOTICE
OF
ELECTION TO THE OFFICE OF VICE-PRESIDENT OF INDIA

WHEREAS a notification under sub-section (1) of section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, for the holding of an election to fill the Office of Vice-President of India has been issued by the Election Commission, I, Shumsher K. Sheriff, the Returning Officer for such election, do hereby give notice that—

(i) nomination papers may be delivered by a candidate or any one of his proposers or seconders to the undersigned at his office in Room No.29, Ground Floor, Parliament House, New Delhi, or if he is unavoidably absent, to the Assistant Returning Officers, Shri Mukul Pande, Additional Secretary or Shri Rohtas, Joint Secretary, Rajya Sabha Secretariat at the said office between 11 A.M. and 3 P.M. on any day (other than a public holiday) not later than the 18th of July, 2017;

(ii) each nomination paper shall be accompanied by a certified copy of the entry relating to the candidate in the electoral roll for the Parliamentary constituency in which the candidate is registered as an elector;

(iii) every candidate shall deposit or cause to be deposited a sum of rupees fifteen thousand only. This amount may be deposited in cash with the Returning Officer at the time of presentation of the nomination paper or deposited earlier in the Reserve Bank of India or in a Government Treasury, and in the latter case a receipt showing that the said deposit of the sum has been so made is required to be enclosed with the nomination paper;

(iv) forms of nomination papers may be obtained from the above said office at the times aforesaid.

(v) the nomination papers, other than those rejected under sub-section (4) of section 5B of the Act, will be taken up for scrutiny at the said office in Room No.29, Ground Floor, Parliament House, New Delhi on Wednesday, the 19th July, 2017 at 11 A.M.;

(vi) the notice of withdrawal of candidatures may be delivered by a candidate, or any one of his proposers or seconders who has been authorised in this behalf in writing by the candidate, to the undersigned at the place specified in paragraph (i) above before three o'clock in the afternoon of the 21st of July, 2017;

(vii) in the event of the election being contested, the poll will be taken on Saturday, the 5th of August, 2017, between the hours of 10 A.M. and 5 P.M., at the place of polling fixed under the rules.

New Delhi,
Dated the 4th of July, 2017

(SHUMSHER K. SHERIFF)
RETURNING OFFICER FOR THE
VICE-PRESIDENTIAL ELECTION, 2017
AND
SECRETARY-GENERAL, RAJYA SABHA

EXTRAORDINARY No. : 25
DATED : 4TH JULY, 2017.

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए रिटर्निंग आफिसर का कार्यालय

भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन
की
लोक सूचना

भारत के उपराष्ट्रपति पद भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निकाल दी गई है, अत: ऐसे निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर, मैं **शमशेर के. शरीफ** सूचना देता हूं कि——

(i) अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन पत्र निम्नहस्ताक्षरकर्ता को कमरा सं. 29, भूतल, संसद भवन, नई दिल्ली में उसके कार्यालय में या यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित हो, तो सहायक रिटर्निंग आफिसर श्री मुकुल पांडे, अपर सचिव या श्री रोहतास, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में **18 जुलाई, 2017** तक (लोक अवकाश- दिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच परिदत्त किए जा सकेंगे;

(ii) हर एक नामनिर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(iii) हर अभ्यर्थी केवल पन्द्रह हजार रुपये की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा। यह रकम नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग आफिसर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चात्कथित दशा में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शित किया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा;

(iv) नामनिर्देशन पत्रों के प्ररूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे;

(v) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा उपरोक्त कार्यालय में कमरा सं. 29, भूतल, संसद भवन, नई दिल्ली में **बुधवार, 19 जुलाई, 2017 को पूर्वाह्न 11 बजे** की जाएगी;

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निम्नहस्ताक्षरकर्ता को, उपरोक्त पैरा (i) में विनिर्दिष्ट स्थान में **21 जुलाई, 2017 को तीन बजे अपराह्न से पहले** परिदत्त की जा सकेगी;

(vii) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान इन नियमों के अधीन नियत किये गये मतदान के स्थान में **शनिवार, 5** अगस्त, **2017** को **पूर्वाह्न 10 बजे और अपराह्न 5 बजे** के बीच होगा।

शमशेर शरीफ

नई दिल्ली,
दिनांक 4 जुलाई, 2017

(शमशेर के. शरीफ)
उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए
रिटर्निंग आफिसर
और
महासचिव, राज्य सभा

Government Printing Press, Daman - 07/2017 – 250.
[Price Rs. 4.00]